

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3519

10.08.2026 को उत्तर के लिए

संकटग्रस्त प्रजातियों की वैज्ञानिक पहचान के लिए एसओपी

3519 श्री मनीश तिवारी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत चिह्नित 17 राज्यों और 3 संघ राज्यक्षेत्रों में वर्तमान में आधिकारिक तौर पर संकटग्रस्त के रूप में नामित और अधसूचित पौधों की 159 और पशुओं की 173 प्रजातियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषदों को अनिवार्य प्रजाति पुनर्प्राप्ति और संरक्षण कार्य योजनाएं शुरू करने में सहायता प्रदान करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में प्रदान की गई लक्षित निष्पादन समय-सीमा, संरचनात्मक बजटीय आवंटन और कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) स्थानीय पहचान प्रक्रिया के दौरान स्थानीय क्षेत्रीय आंकड़ों और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को सत्यापित करने के लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा लागू किए गए सटीक वैज्ञानिक सत्यापन मानदंड और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यपद्धतियां क्या हैं; और
- (घ) वर्ष 2025 के लाभ-साझाकरण नियमों के तहत विशिष्ट वैधानिक प्रवर्तन तंत्र क्या हैं, जो विशेष रूप से इन नई अधसूचित संकटग्रस्त प्रजातियों से प्राप्त जैविक संसाधनों के लिए भव्य वृत्तीय दायित्वों और लाभ-साझाकरण संग्रह को अनिवार्य बनाते हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) से (घ) जैव विविधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में यथासंशोधित) की धारा 38 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, समय-समय पर किसी भी ऐसी प्रजाति को जो विलुप्त होने के कगार पर है या जिसकी निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है, उसे संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में अधसूचित कर सकती है और किसी भी उद्देश्य के लिए उसके संग्रहण पर प्रतिबंध लगा सकती है या उसका नियमन कर

सकती है तथा उन प्रजातियों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए उचित कदम उठा सकती है।

अब तक, 159 पौधों और 174 जानवरों की प्रजातियों को जैव व वधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में यथासंशोधित) की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, और जैव व वधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में यथासंशोधित) की धारा 38 के तहत राष्ट्रीय जैव व वधता प्राधिकरण की वेबसाइट www.nbaindia.org पर 17 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की अधिसूचित की गई संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रकाशित की गई है।

राष्ट्रीय जैव व वधता प्राधिकरण की दिनांक 16.06.2026 को प्रकाशित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, राज्य जैव व वधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव व वधता परिषद, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, वन विभाग, वैज्ञानिक संस्थानों या किसी अन्य संगठन के सहयोग से आबादी की प्रवृत्तियाँ, भौगोलिक सीमा, पर्यावास की गुणवत्ता, पर्यावास का खंडन, शोषण का दबाव, प्रजनन जीव विज्ञान, पारिस्थितिक आवश्यकताएँ और विलुप्त होने का खतरा से संबंधित एक वैज्ञानिक मूल्यांकन होगा। एसओपी का उद्देश्य जैव व वधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में यथा संशोधित) की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान, आकलन, अधिसूचित करने, संरक्षण, पुनर्वास, निगरानी और समय-समय पर समीक्षा के लिए पारदर्शी, विज्ञान-आधारित, सहभागिता परक रूपरेखा स्थापित करना है।

एसओपी में, राज्य जैव व वधता बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र जैव व वधता परिषदों को संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति और संरक्षण कार्य योजनाओं को शुरू करने में सहायता करने के लिए निष्पादन समय-सीमा, संरचनात्मक बजटीय आवंटन या कार्यान्वयन दिशानिर्देशों का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, समय-समय पर अधिनियम की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों को अधिसूचित कर सकती है।

जैव संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ साझाकरण विनियमन, 2025 के विनियम 4 और 5 के तहत कहा गया है कि संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण या उच्च आर्थिक मूल्य वाले जैव संसाधन जैसे लाल चंदन, चंदन, अगरवुड या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई कोई अन्य वस्तु, और जैव व वधता अधिनियम, 2002 (वर्ष 2023 में यथा संशोधित) की धारा 38 के तहत अधिसूचित संकटग्रस्त प्रजातियों सहित, लाभ-साझाकरण की राशि प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर नीलामी या वक्रय से प्राप्त आय अथवा क्रय मूल्य जैसा भी मामला, के पाँच प्रतिशत से कम नहीं होगी तथा अग्रिम भुगतान के रूप में देय होगी।
